

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-14/एम 7-230/2009(अंश)-1313 पटना, दिनांक...31/8/15 बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-18 की उपधारा-27 एवं धारा-22 की उपधारा (1)(ट) यथा अद्यतन संशोधित में वर्णित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 15/एम व3-070/93 उ0शि0-2773 दिनांक 06.09.10 को अवक्रमित करते हुए तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के अधिषद (Senate) एवं अभिषद (Syndicate) के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है:-

अधिषद (Senate) के सदस्य :-

- | क्र० | नाम एवं पता |
|------|--|
| 1. | डा० प्रभात कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग, आर०डी० एंड डि०जे० कॉलेज, मुंगेर। |
| 2. | डा० माला सिन्हा, अंग्रेजी विभाग, सुन्दरवती महिला महाविद्यालय, भागलपुर। |
| 3. | श्री रामवचन सिंह, प्राचार्य, के०डी०एम० कॉलेज, परबत्ता। |

अभिषद (Syndicate) के सदस्य :-

- | क्र० | नाम एवं पता |
|------|---|
| 1. | श्री मनोज यादव, फ्लैट सं०-डी/103, दारोगा प्र० राय पथ, पटना। |
| 2. | श्री संजीव कुमार सिंह, 6, क्रांति मार्ग, पटना। |
| 3. | डा० शैलेश प्र० सिंह, सियाराम नगर, भिखनपुर, भागलपुर। |
| 4. | प्र० मो० सलाम, अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना। |
| 5. | प्र० हरप्रित कौर, आर०पी०एस० कॉलेज, पटना। |

2. मनोनीत सदस्यों की कालावधि (tenure) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों की होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




(सुनील कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञाप संख्या:-14/एम 7-230/2009(अंश)- 1313

पटना, दिनांक...31/8/15

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (सी०डी० सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञाप संख्या:-14/एम 7-230/2009(अंश)- 1313

पटना, दिनांक...31/8/15

प्रतिलिपि :- सभी मनोनीत व्यक्तियों/संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर से अनुरोध है कि वे इसे विभागीय वेब साईट पर अपलोड कर दें।



संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग